



## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 72/30/2012/चयन

इन्दौर, दिनांक 12 AUG 2013

### अतिरिक्त चयन परिणाम

(याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) 5065/2013 कृ. मुनमुन यादव विरुद्ध शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 25.07.2013 को पारित निर्णय के परिपालन के अधीन)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2012 दिनांक 08.10.2012 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 01/ 01/चयन /2012/17.12.2012 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के कुल 1416 पदों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2013 से 09.05.2013 तक एवं 20.05.2013 को अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किये गये थे साक्षात्कार उपरांत चयन परिणाम क्रमांक 56/30/2012/चयन दिनांक 22.05.2013 के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 22.05.2013 को घोषित चयन परिणाम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधधीन रहे अभ्यर्थियों के चयन परिणाम रोके गये थे ।

2/ न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) 5065/2013 कृ. मुनमुन यादव विरुद्ध शासन व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2013 के अनुपालन में याचिकाकार कृ. मुनमुन यादव का साक्षात्कार दिनांक 03.05.2013 को आयोजित किया गया। साक्षात्कार के फलस्वरूप दिनांक 22.05.2013 को घोषित चयन परिणाम के आधार पर याचिकाकार का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :-

### मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	लिंग	नाम	श्रेणी	चयन की स्थिति व मुख्य सूची में वरिष्ठता क्रमांक
1	2130	F	मुनमुन यादव (प्रावधिक)	अ.जा.	दिनांक 22.05.2013 को जारी चयन परिणाम में निर्धारित वरिष्ठता सरल क्रमांक 796 के बाद 796 ए पर मुनमुन यादव की वरिष्ठता संस्थित की जाती है ।

टीप :-

3. " चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।"

*Vau*  
( वंदना वैद्य )  
उप सचिव